यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु॰नं॰ 20/16 तारीख़ हुक्म 12.5.16

उनवान – कमलराम बनाम नानगराम वगै॰ साहूकार

प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 25.5.16 को पेश हो। 1143-46 13.5.16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 व 2 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 3 का नोटिस अदम तामील मे प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी नं. 4 का नोटिस बाद तामील प्राप्त नही हुआ है। प्रार्थी वकील ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर बहस सुनने का कथन किया। अप्रार्थी नं. 1 व 2 के वकील ने जवाब पेश करने का समय चाहा। प्रार्थी वकील ने कथन किया के जब नोटिस तामील हो चुके हैं। तो जवाब पेश करना चाहिए तथा उभय पक्ष को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का कथन किया। वकील उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

पु.नं.– 20 / 16

तारीख रजू. – 12.05.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

कमलराम पुत्र श्रीया, जाति मीना, निवासी शहराकर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज.।

सायल

बनाम

1 नानगाराम
2 किल्याणाराम
पि. श्रीया, जाति मीना, निवासी शहराकर तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।
3 पुखराज पुत्र किलाणा,
4 लोकेश उर्फ पिन्टू, पुत्र किलाणा

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 सुरेश चन्द शर्मा – अभिभाषक सायल

2 गैरसायलान नं0 1 व 2 की ओर – मनोज कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक–21.09.2016

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी आराजी ख0नं0 79 रकबा 0.09है0, ख0नं. 202 रकबा 0.12है0, 203 रकबा 0.13है0, 241 रकबा 0.16है0, 424 रकबा 0.18है0, 653 रकबा 0.18है0, 703 रकबा 0.08है0, 759 रकबा 0.16है0, 1223 रकबा 0.21है0, 1224 रकबा 0.21है0, 1225 रकबा 0.22है0, 1484 रकबा 0.39है0, 1502 रकबा 0.85है0, 1502 / 1803 रकबा 0.02, 1610 रकबा 0.

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

16है0, 1710 रकबा 0.48है0, 1711 रकबा 0.25है0, 1779/1882 रकबा 0.07है0, कुल किता 18 कुल रकबा 3.94है0 ग्राम शहराकर तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायल बहिस्सा 7/24 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायल नं0 1, 2 प्रत्येक 7/24 हिस्से का खातेदार है तथा गैरसायल नम्बर 3 बहिस्सा 1/8 की खातेदार है। गैरसायल नम्बर 3 की आराजी का मौके पर गैरसायलान 1, 2 तथा सायल ही काश्त करते है। उक्त आराजी सायल व गैरसायल नं. 1 ता 3 को विरासत में पिता श्रीया से मिली है। आराजीयात का बाहमी बंटवारा हो रहा है। लेकिन कौन कौन किस किस नम्बर पर काबिज है पता नही है। तथा सायल द्वारा अपना सम्पूर्ण जीवन परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया तथा सम्पूर्ण सर्विस के दौरान परिवार की उन्नति के लिए कार्य करते रहे है। तथा सर्विस के दौरान सम्पूर्ण वेतन परिवार को आगे बढाने में खर्च कर दिया। सायल की बाहमी बंटवारे में आयी आराजी ख0नं0 241 तथा अन्य हिस्सा 7/24 को बिना रोक टोक के काश्त करता व करवाता चला आ रहा है। लेकिन गैरसायलान के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गयी है तथा वे सायल को अपने हिस्से व कब्जे की आराजी से महरूम रखना चाहते है। तथा सायल को बेदखल कर उन्हे कम उपजाऊ, कम कीमती वाली तथा अपने हिस्से से कम आराजी देने पर उतारू है। बाका दिनांक 04.05.2016 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायल अपने हिस्से की आराजी ख0नं0 241 रकबा 0.16है0 में से सूल बबूल साफ कर रहा था कि गैरसायलान एक राय होकर आ गये तथा कहने लगे कि तुम इस आराजी से चले जाओ, ये आराजी सडक के सहारे है। इसलिये इस आराजी पर हम कब्जा करके इसमें निर्माण करेगे, इस पर सायल द्वारा उनसे निवेदन किया कि भाईयो ऐसा क्यो करते हो उक्त आराजी पर मेरे हिस्से आयी है तथा इसको शुरू से मैं ही काश्त करता व करवाता चला आ रहा हूँ। तुमने पहले ही सम्पूर्ण अच्छी जमीन ले रखी है तुमने

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

पहले कहा वो ही मैने ले ली अब तुम मुझे नाहक क्यो परेशान करते हो, तुमने पहले ही सम्पूर्ण अच्छी, व उपयोगी तथा रास्ते के सहारे वाली जमीन पर कब्जा कर रखा है। तथा तुम्हे ज्यादा परेशानी है तो सम्पूर्ण आराजी के अपने अपने हिस्सेनुसार तहसील मे चलकर बंटवारा करवा लेते है। इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हमे सिखाता है। हम कोई बंटवारा नही करायेगे, ना ही तहसील में या कही जायेगे अभी तो हमने ख0नं0 241 के लिए कहा है अगर तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारी सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लेगे। तथा तुम्हे एक इंच जमीन भी काश्त नही करने देगे। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो जावे तो सायल को उसके कब्जे व हिस्से की आराजी ख0नं0 241 व अन्य से बेदखल कर दिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इसलिये गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल की आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये उन्होने प्रार्थना पत्र के अधिकतम मदो को अस्वीकार करते हुये। काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि सायल कमल व गैरसायलान नं0 1 नानग्याराम का संयुक्त हिस्सा 14/24 गैरसायलान नं0 2 किलाणया राम का हिस्सा 7/24 व गैरसायल नं0 3 का हिस्सा 1/8 दर्ज है। उक्त आराजी का 40सौ वर्ष पहले सायल व गैरसायलान के पिता श्रीया के जीवनकाल में ही बाहमी बंटवारा हो गया था। तथा बाहमी बंटवारे में गैरसायलान नं0 1 के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 202 रकबा 12 ऐयर में से 6 ऐयर, 203 रकबा 13 ऐयर में से 4 ऐयर, 241 रकबा 16 ऐयर, 703 रकबा 8 ऐयर, 1224 रकबा 21 ऐयर, 1502 रकबा 85 ऐयर में से 29 ऐयर 1484 रकबा 39 ऐयर में से 24 ऐयर, तथा ख0नं0 1610 रकबा 16 ऐयर

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आया है। एवं इसी प्रकार गैरसायल नं0 2 के हिस्से में हाल ख0नं0 203 रकबा 13 ऐयर में से 5 ऐयर, ख0नं0 424 रकबा 18 ऐयर में से 6 ऐयर, 653 रकबा 18 ऐयर, 1223 रकबा 21 ऐयर, 1502 रकबा 85 ऐयर में से 28 ऐयर, 1710 रकबा 46 ऐयर, तथा 1779/1882 रकबा 7 ऐयर आराजी आयी है। तथा बाहमी बंटवारे में 40 सौ साल से सायल व गैरसायल अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। इस साल भी गैरसायलान ने अपने हिस्से में बाजरा व तिल काश्त की थी। जो मौके पर सरसब्ज हाल में खडी हुई है। उक्त आराजीयात का बाहमी बंटवारा किया जा चुका है। लेकिन अभी तक विधिवत् बंटवारा नही हुआ है। इसलिये सायल गैरसायलान के साथ आये दिन झगडा फंसाद करता रहता है। उक्त आराजी का विधिवत् बंटवारा करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। गैरसायलान गॉव के सीधे साधे एवं भोले भाले व्यक्ति है। जिनमें गैरसायल नं0 1 निःसंतान व्यक्ति है। जबकि सायल एक लठैत व प्रभावशाली व्यक्ति है। जो पुलिस में उच्चाधिकारी पद से सेवानिवृति हुआ है। जो गैरसायलान की आराजी को लठठ के बल पर छिनना चाहता है। तथा गैरसायलान नं0 1 से कहता है कि तेरे कोई सन्तान नही है। तू तेरे कब्जे काश्त की खातेदारी अपने जीते जी मेरे हक मे करा दे। अन्यथा मैं तेरी हिस्से की आराजी को तेरे खिलाफ झूठे मुकदमें पेश कर हडप कर लूंगा। चूंकि पुलिस व सरकार में मरी पहुॅच है। इसलिये सायल ने गैरसायलान का गॉव में रहना दुर्भर कर रखा है। तथा आये दिन गैरसायलान की आराजी को हडपने की फिराक में रहता है।

मैने उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी सायल के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मय अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी में सायल का 7/24 हिस्सा है। जिसमें गैरसायलान मजाहमत मदाखलत करते रहते है। इसलिये उन्हे पाबन्द फरमाया जावे। जबकि

उपजिला कार्यालय
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि सायल प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गैरसायलान की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है। जबकि उक्त आराजी का 40सौ साल पूर्व बाहमी बंटवारा हो चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। मैने अधिवक्तागण की बहस तथा पत्रांवली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। चूंकि मूल दावा बंटवारे का है। तथा सायल व गैरसायलान संयुक्त खातेदार है। आराजीयात में कौन किस पर काबिज है। का पता मूल दावे में ही कुरेजात आने पर ही लग सकेगा। इसलिये उभय पक्ष को पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि आराजीयात ख0नं0 79 रकबा 0.09है0, ख0नं. 202 रकबा 0.12है0, 203 रकबा 0.13है0, 241 रकबा 0.16है0, 424 रकबा 0.18है0, 653 रकबा 0.18है0, 703 रकबा 0.08है0, 759 रकबा 0.16है0, 1223 रकबा 0.21है0, 1224 रकबा 0.21है0, 1225 रकबा 0.22है0, 1484 रकबा 0.39है0, 1502 रकबा 0.85है0, 1502/1803 रकबा 0.02, 1610 रकबा 0.16है0, 1710 रकबा 0.48है0, 1711 रकबा 0.25है0, 1779/1882 रकबा 0.07है0, कुल किता 18 कुल रकबा 3.94है0 ग्राम शहराकर तह0 टोडाभीम की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति मूल दावे के निस्तारण तक उभय पक्षकारान बनाये रखेगे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner